

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेकनिक बुरहानपुर 450 331 म.प्र. पूर्वनिमाड
क्रमांक: स्था. / / बुरहानपुर, दिनांक

परिशिष्ट-3

अध्यापन हेतु व्याख्याता के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु संविदा प्रपत्र

यह संविदा आज दिनांक ~~22-1-2001~~ को प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

श्री ~~एस. पी. आर्जिसेत्री~~ शासकीय महिला पॉलीटेकनिक बुरहानपुर
जिला पूर्व निमाड, खण्डवा म.प्र. तथा श्री/श्रीमती/क. ~~हनुमा जेडविन~~

आत्मज श्री ~~हनुमा जेडविन~~ आयु ~~24~~ वर्ष निवासी ~~पूर~~

~~पूर~~ के मध्य दिनांक ~~22-1-2001~~

से ~~30/6/2001~~ तक अधिकतम ~~12~~ माह एक सेमेस्टर तक विषय ~~विज्ञान~~
में अध्यापन कार्य हेतु व्यवस्था निम्न शर्तों पर निष्पादित की जाती है :

- §1§ आवेदक महा विद्यालय/पॉलीटेकनिक में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अध्यापन कार्य सम्पन्न करेगा।
- §2§ आवेदक अध्यापन कार्य व्याख्याता के कार्य का निष्पादन प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार करेगा।
- §3§ प्राचार्य सामान्यतः 7 दिन की पूर्व सूचना देकर इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे और इसी प्रकार संबंधित व्यक्ति भी 7 दिन की पूर्व सूचना देकर इस व्यवस्था से अपने आपको अलग कर सकेंगे, परन्तु यह भी कि पर्याप्त औचित्य होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के भी प्राचार्य इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे।
- §4§ यदि किसी कारणवश आवेदक अध्यापन कार्य व्याख्याता नहीं कर सकते हैं तो प्राचार्य की अनुमति से अनुपस्थित रह सकते हैं, परन्तु यदि बिना किसी सूचना अनुमति के 7 दिनों तक आवेदक अनुपस्थित रहा तो यह संविदा स्वयमेव ही समाप्त मानी जावेगी।
- §5§ आवेदक को कार्य के लिये पार श्रमिक के रूप में प्रतिमाह रुपये 8000/- ~~आठ हजार रुपये~~ प्रतिमाह का भुगतान किया जावेगा और अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं होगा। किन्तु अनुपस्थिति की स्थिति में प्रतिदिन रुपये 300/- ~~तीन सौ रुपये मात्र~~ के मान से कटौती होगी।
- §6§ संविदा में निहित शर्तों से हटकर आवेदक यदि कोई मांग करता है या मांग प्रति हेतु आन्दोलनात्मक गतिविधियों में भाग लेता है तो संविदा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- §7§ आवेदक किसी भी समय और किसी भी पद के लिये सीधे आवेदन पत्र भेज सकेंगा और प्राचार्य के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- §8§ आवेदक संविदा समाप्त की स्थिति में महा विद्यालय की कोई भी सामग्री जो उसके अधिपत्य में हो, तत्काल वापस लौटा देगा अन्यथा इस रूप में ही वाली हार्नि की वसूली उस देय बकाया स्वत्वों के विरुद्ध अथवा भू-राज की बकाया की भांति की जा सकेगी।
- §9§ संविदा पर नियुक्त विद्ये जैसे व्यक्तिओं पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आयु नियम 1965 लागू होंगे।

100- पोषणा-पत्र

मेरे संविदा नियुक्ति पर अध्यापन कार्य शिवाहयाता के पद पर है
तुझे संविदा में वर्जित शर्तों को पढ़ लिया है तथा मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं
भविष्य में संविदा नियुक्ति को आधार मानकर नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं
करूंगा/करूंगी।

आवेदन क्र. 100/2001
नाम Dr. S. K. Singh
स्वयं पता Lecturer Govt. poly.
Barabanki (M.P.)
O. No. - ETI poly. Campus

गवाह/दस्तावेज दिनांक एवं पूर्ण पत्र:-

1. 21/12/01 गा. महिला पोली बुरहानपुर -----
2. 21/12/01 -----

पुष्ठा. क्र./स्था. 100/2001 बुरहानपुर, दिनांक 22/12/01
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. तकनीकी शिक्षा संचालक, म. प्र. सतपुड़ा भवन, गीरपाल - 462 004.
2. विभाग प्रभारी, स्म.ओ. स्म./सी. डी. डी. स्म./इले0स्पण्डेली0 शास. म. पोली. बुरहानपुर।
3. शैक्षणिक प्रभारी, शा. म. पो. बुरहानपुर।
4. लेखापाल, शा. म. पो. बुरहानपुर।
5. दायक प्रति।
6. श्री/श्रीमती/कु. सुरेश क्लेडविग

S. K. Singh
प्रचार्य
शासकीय महिला पॉलीटेक्निक
बुरहानपुर

Office of the Principal, Government Women's Poly, Burhanpur, M. P.

No/GWP/ESSTU/424

433

Burhanpur

Dated: July 17, 2000

02/3/2001

To Whom It May Concern:

This is to certify that *Miss Beaulah Gladwin* was appointed as **Contract Lecturer** in the Deptt. of **Electronics & telecommunication** of this institution from 24/03/2000 to 17th July 2000. After That she was working as Part Time Lecturer to till date.

She was taking the classes in Electronics & telecommunication Branch.

Her performance was satisfactory.

We hope for her bright future.

Beaulah Gladwin
Principal
Govt. Women's Poly
Burhanpur